बिरदीदेवी v/s कमला

206/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 28/5/24 | पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उभय प्रतिवादीगण के समक्ष आपसी सामा के तामील कराने पर भी पत्रकार हाजिर नहीं है। अतः प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के विरुद्ध कार्यवाही इत्तला के तौर हाजिर रखा जाकर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही क्रमशः में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 6 परकोर्ट पत्रकार संशोधित है। अतः प्रकरण हाजा वादी लाइन वादी मिसल किया जाता है। लाइन वादी में शपथ पत्र गवाह बिरदीदेवी w/o बालाराम का पेश किया जो शामिल रहे। वादी और लाइन नहीं कराने के निवेदन पर लाइन बंद की गई। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होकर लाइन प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं है। अतः मिसल वादी एक मिसल की जाती है। पक्षकार उभय पक्ष सुनी गई। मिसल वादी अग्रिम दिनांक 29/5/24 को पेश हो। |
| 29/5/24 | पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उभय वादी का आपसी समझौता पर PID किया जाता है। विस्तृत विधिवत पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। प्रकरण वादी PID अनुसार दिनांक 07/8/24 को पेश हो। |
| 6/9/24 | वकील वादी [illegible] आज पेश की गई। [illegible] PID प्राप्त हो चुकी है। [illegible] सुना गया। जिन्होंने PID प्रावधान अनुसार वाद समाप्त किये जाने का निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वादी का वाद समाप्त किया जाता है। विस्तृत विधिवत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल है। प्रकरण अपने पत्रावली से पृथक हो। |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.14 14:46:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नाथां (डीग)